न्यायालय सिविज जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट बाजपुर ऊधम सिंह नगर।
फौजदारी वाद संख्या—745/2022
सरकार बनाम राज सिंह उर्फ राजू

मुकदमा अपराध संख्या—295/2021
धारा—376,354 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना बाजपुर।

दिनांक—06.03.2023

कमिटल आदेश

पुकार लगायी गयी। पुकार पर अभियुक्त राज सिंह उर्फ राजू मय विद्वान अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रान्त सिंह राठौर उपस्थित है।

अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें निःशुल्क प्रदान की गयी।

पत्रावली का परिशीलन किया। थाना बाजपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या—295/2021 में अभियुक्त के विरूद्ध अन्वेषण पश्चात थाना बाजपुर द्वारा आरोप पत्र अभियुक्त राज सिंह उर्फ राजू के विरूद्ध अंतर्गत धारा 376,354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 इस न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त राज सिंह उर्फ राजू के विरूद्ध अंतर्गत धारा 376,354, भारतीय दण्ड संहिता, के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है।

धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन दण्डनीय अपराध अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः यह दाण्डिक प्रकरण सेशन सुपुर्द होने योग्य है।

तदनुसार इस दाण्डिक प्रकरण को माननीय सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर को सुपुर्द किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं। वह जमानत से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अग्रिम अन्य आदेश तक जमानत पर रहेंगे।

अभियुक्त दिनांक 07.03.2023 को माननीय सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर, के समक्ष उपस्थित हो।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को तद्नुसार सूचित किया जाये। तदनुसार कैलेण्डर 07 दिन के भीतर नियमानुसार तैयार हो और पत्रावली मय कैलेण्डर माननीय सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर को प्रेषित की जाये।

पत्रावली दिनांक 17.03.2023 को माननीय सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर के समक्ष पेश हो।

दिनांक—06.03.2023

(चेतन सिंह गौतम)
न्यायिक मजिट्रेट बाजपुर
जिला—उधम सिंह नगर।